दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 18-07-2025

जताई नाराजगी • सीजे सिन्हा की बेंच ने पीडब्ल्यूडी व निगम से दोबारा मांगा जवाब, दैनिक भास्कर की खबरों पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने मांगा था शपथ पत्र

बदहाल सड़क: जिम्मेदारी से बचने दिया शपथ पत्र, मरम्मत के लिए ठोस पहल नहीं: कोर्ट

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने बिलासपुर, तखतपुर और मल्हार की जर्जर सड़कों पर प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग और बिलासपुर नगर निगम के अफसरों से जवाब मांगा था। जवाब में दोनों विभागों ने कहा कि कई सड़कें निर्माणाधीन हैं, कुछ की मरम्मत कर दी गई है। बाकी का काम जारी है। लेकिन कोर्ट इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों ने जिम्मेदारी से बचने शपथ पत्र दे दिए हैं। बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मामले पर अब 5 अगस्त को सुनवाई होगी। लोक निर्माण विभाग ने शपथ पत्र में माना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क अभी अधूरी है और कुछ दरारें भर दी गई हैं। मल्हार की मुख्य सड़क पर जलभराव के मामले में बताया कि सड़कों के किनारे की नालियां चोक थीं, जिनकी सफाई की जा रही है। वहीं बिलासपुर की सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे पर विभाग ने बताया कि नगर निगम से पाइपलाइन मरम्मत और सड़क सुधार के लिए समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। नगर निगम ने भी अलग से हलफनामा देकर बताया कि शहर की कुल 49 सड़कें निगम के अधीन हैं, जबकि प्रमुख लिंक रोड पीडब्ल्यूडी के अधीन आती हैं। निगम ने जोन 1 से 8 तक की सड़क मरम्मत की तस्वीरें और सूची भी पेश की है। कहा गया कि डब्ल्यूएमएम और पैचवर्क का काम कई जगह पूरा हो चुका है, बाकी जगहों पर काम जारी है।

महीनों पहले राशि मिलने के बाद भी कई सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहां चलना मुश्किल है।

पैसे मिलने पर काम शुरू नहीं होना दुखद

हाई कोर्ट ने पाया कि कुछ सड़क परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अक्टूबर 2024 और मई 2025 में मिल चुकी है। साथ ही करोड़ों की राशि भी स्वीकृत की गई थी, फिर भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी सिर्फ कागजी जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

अफसरों से मांगा नया शपथ पत्र

हाई कोर्ट ने 15 करोड़ रुपए में बनी सड़क के उखड़ने को लेकर छपी खबर पर संज्ञान लिया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव और नगर निगम आयुक्त से स्पष्ट शपथ पत्र मांगा है, बताने को कहा गया है कि राशि जारी होने के बाद अब तक क्या काम शुरू हुए हैं। काम किस स्तर तक पहुंचा है।

सालभर पहले मिली थी रकम

शपथ पत्र में बताया गया कि नेहरू चौक से दरीघाट तक कुल 10.70 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इस काम के लिए 22 मई 2025 को 3209.15 लाख रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। वहीं, गांधी चौक से तारबाहर चौक तक 1.10 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 14 अक्टूबर 2024 को 259.62 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दुखद है कि महीनों पहले प्रशासकीय स्वीकृति और राशि जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है।